A7
T

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 09/ 14

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

1. हरवंशसिंह
2. गुरजन्टसिंह
3. बलविन्द्रसिंह

पिसरान स्व0 मेहरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नं0 11 तह0 व जिला श्रीगंगानगर। अपीलार्थीगण

वनाम

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश 07–02–14 तहसीलदार, श्रीगंगानगर

उपस्थित : 1 श्री चरणदास कम्बोज, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2.श्री जगमोहन आहूजा, अधिवक्ता, रेस्पो0

आदेश

दिनांक : 22–1–16

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22–11–12 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण की माता जियो उर्फ जीतकौर पत्नी मेहरसिंह के नाम चक 11 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मु0 नं0 38 के खाता सं0 56 में 0.903 है0 कृषि भूमि दर्ज है। अपीलार्थीगण की माता का देहान्त 3–4–89 को हो चुका है। अपीलार्थीगण की माता द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 16–8–88 को तहरीर करवाई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लम्बे समय तक वसीयत के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया, जिसपर अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष अपील अ0 धारा 6 राज0 लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधि0 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत की जिसके निर्णय दिनांक 8–1–14 द्वारा नियमानुसार विधिवत् सनवाई कर समुचित अवसर प्रदान कर नामान्तरण की कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया। तदुपरांत प्रकरण की कार्यवाही में वसीयत के दोनों गवाहों ने वसीयत में वर्णित तथ्यों को सही बताया केवल मात्र शपथ पत्र में वसीयत दिनांक 16–8–88 के स्थान पर टंकण की भूलवश दिनांक 6–8–88 अंकित हो गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत के गवाहान की साक्ष्य लेखबद्व करनी चाहिये थी जबकि उनके शपथ पत्र लिये गये। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देने बाबत उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 8–1–14 की पालना नहीं की गई है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

विपरीत है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि प्रकरण की कार्यवाही में वसीयत के दोनों गवाहों ने वसीयत में वर्णित तथ्यों को सही बताया केवल मात्र शपथ पत्र में वसीयत दिनांक 16–8–88 के स्थान पर टंकण की भूलवश दिनांक 6–8–88 अंकित हो गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत के गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करनी चाहिये थी जबकि उनके शपथ पत्र लिये गये। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देने बावत उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 8–1–14 की पालना नहीं की गई है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत के गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करनी चाहिये थी जबकि उनके शपथ पत्र लिये गये। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देने बावत उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 8–1–14 की पालना नहीं की गई है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुरूप प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः पक्षकारों की विधिसम्मत् सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलाटंस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–02–14 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, वसीयत दिनांक 16–8–88 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 8–2–16 को उपस्थित हों।

आदेश आज दिनांक 22–1–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णीसिंह गोठवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर। 22/1/16